न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0– 73 सन् 2019

सुकेश्वर सिंह .....वादी

बनाम

अखिलेश सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांकः– 06.07.2021

आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल इम्तनाई आवेदन दिनांक 04.02.2020 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से दिनांक 04.02.2020 को आदेश 39 नियम 1 वो 2 एवं धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि उन्होंने यह वाद प्रतिवादीगण से वाद के सिडियुल नं0 2 की जमीन में अपने हिस्से की बंटवारा कर देने हेतु दाखिल किया है। वादपत्र में वर्णित सिडियुल नं0 2 की जमीन वादी को पारिवारिक इंतजाम से मिला है। अभी प्रस्तुत वाद में साक्ष्य चल रहा हैं, इसी बीच में सभी प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के वाद को बाधित करन की नियत से दिनांक 09.01.2020 को प्रतिवाद सं0 2 एवं 3 वाद की जमीन में से खाता सं0 123, 3 वो खेसरा सं0 600, 601, 220, 221, 163, 164 में से अन्य लोगों के हाथों बैनामा की है। प्रतिवादीगण वाद के जमीन को बाजबरदस्ती दखल करने की योजना बना रहे हैं एवं उसका स्वरूप बदलने पर अमादा हैं जिससे स्थल पर इमरजेंसी ऑफ स्टेट की संभावना प्रबल हो गई है। प्रतिवादगण के उक्त व्यवहार से वादी को अपूर्णिय क्षति हो रही है। अतएव वाद को यथास्थिति कायम रखते हुए प्रतिवादीगण को ता फैसला किसी तरह का डीड लिखने से रोक लगाते हुए इंतनाई आदेश पारित करना आवश्यक हो गया है। इस वाद का सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादीगण को इस वाद की जमीन पर बिकी करने से स्थल का स्वरूप बदलने से या किसी प्रकार का निर्माण

करने से नहीं रोका जाएगा तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। उपरोक्त परिस्थिति में वादपत्र के सिडियुल नं0 2 एवं सिडियुल नं0 3 के सभी जमीन पर यथास्थिति कायम रखते हुए सभी प्रतिवादीगण को किसी तरह का हस्तक्षेप करने एवं बिक्री करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ इंतनाई आदेश जारी कर वाद की जमीन पर किसी प्रकार हस्तक्षेप करने से रोकने की कृपा की जाय।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 24.11.2020 को उपरोक्त इंतनाई आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि वादी ने जिन कथनों के साथ यथास्थिति बनाये रखने हेतु इंतनाई आवेदन दाखिल किया ह। वह विधितः सही नहीं है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि वादी के आवेदन में कथित बातों के संदर्भ में न्यायाहित में न्यायालय उचित निर्णय करने को स्वतंत्र है। इसमें प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत होता है तो पतिवादगण को कोई एतराज नहीं है। अतः प्रतिवादीगण के प्रतिउत्तर को स्वीकार करते हुए न्यायहित में निर्णय किया जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत बंटवारा वाद वादी न वादपत्र में सिडियुल नं0 2 एवं 3 में वर्णित भूमि में अपने हिस्से की प्राप्ति हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध दाखिल किया है। वादी का यह भी कथन है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच पूर्व में बंटवारा हो चुका है। जिसमें वादी को वादपत्र के सिडियुल नं0 2 में वर्णित भूमि एवं प्रतिवदीगण को सिडियुल नं0 3 में वर्णित भूमि मिला है। वादपत्र के सिडियुल नं0 1 में दिए गए वंशावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 के पिता सगे भाई थे। वादी की ओर से दाखिल बिकय विलेख के अवलोकन से यह विदित है कि प्रतिवादी सं0 2 मणीभूषण कुमार ने दिनांक 23.11.2020 को विवादित भूमि खाता सं0 211, खेसरा सं0 1146, रकबा 1 कठा 10 धुर जमीन को रविन्द्र कमार को एवं दिनांक 07.01.2021 को खाता सं0 123, खेसरा सं0

600 एवं रकबा 10 धुर भूमि को श्री प्रिन्स कुमार वो श्री लड्डु कुमार का रजिस्टर्ड बैनामा लिखा है जो वाद के दरम्यान की कोई कार्यवाही है। चूंकि प्रस्तुत वाद विवादित भूमि के बंटवारा से संबंधित है और विवादित भूमि के विकय किया जाना न्यायोचित नहीं है। अभी प्रस्तुत बंटवारा वाद प्रारंभिक चरण में है और अभिलेख पर उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना शेष है। उपरोक्त परिस्थितियों में विवादित भूमि को संरक्षित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे न्यायालय के अगले आदेश तक प्रस्तुत वाद की विवादित भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाये रखें। वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 04.02.2020 को स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता ह कि वे दिनांक. 28.09.2021 .को साक्ष्य प्रस्तुत करें।

सब जज

सोनपुर सारण।